सूचना अधिकार अधिनियम–2005 के अध्याय –2 की धारा–4 (1) ख (7)

मैनुअल संख्या – 7

पालिसी निर्माण या उसके लागू करने से सम्बन्धित प्रचलित व्यवस्था का विवरण

इस मैनुअल को तैयार करने में यद्यपि यथोचित सावधानियॉ बरती गयी है, तथापि इसके प्रकाशन में यदि कोई त्रुटि रह गयी हो तो कृपया कंपनी सचिव, कार्यालय उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड, उज्जवल, महारानी बाग, जी0एम0एस0 रोड, देहरादून पिन–248 006 को डाक द्वारा या फैक्स नम्बर 2761549 या ई–मेल sec_ujvnl @ ujvnl.co.in. पर सूचित करें ।

मैनुअल_– 7

<u>पालिसी निर्माण या उसके लागू करने से सम्बन्धित प्रचलित व्यवस्था का विवरण</u>

UJVNL एक वाणिजिक संस्था है तथा इसके नियम कानून इसके आंतरिक प्रषासन द्वारा बनाये जाते हैं। अतः ऐसी कोई व्यवस्था वर्तमान में यहॉ प्रचलित नहीं है जिसके द्वारा आंतरिक नीति–नियमों को बनाने से पूर्व जनता के प्रतिनिधियों से सलाह की जाय। निगम की समस्त नीतियों का निर्माण लागू विधियों, नीतियों तथा नियमों के अनुरूप ही होता है। फिर भी पालिसी बनाने एवं लागू करने सम्बन्धी प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित दो गतिविधियों में जनता की भागीदारी की व्यवस्था है।

1. <u>उत्पादन टैरिफ का निर्धारण</u>

विद्युत अधिनियम 2003 के प्राविधानों के अन्तर्गत UJVNL द्वारा उत्पादित विद्युत के उत्पादन टैरिफ का निर्धारण उत्तरांचल विद्युत नियमाक आयोग (UERC) द्वारा किया जाता है। UERC द्वारा विद्युत उत्पादन टैरिफ तथा व्यापार इत्यादि के निर्धारण के लिए नियमावली बनाई गई है जिसमें आम जनता की भागीदारी को उचित स्थान दिया गया है।

2. <u>नवीन जल विद्युत परियोजनायें</u>

नई जल विद्युत परियोजनाओं के विकास एवं निर्माण के दौरान पर्यावरणीय स्वीकृति तथा परियोजना प्रभावितों के पुनर्वास सम्बन्धी स्कीम के निर्माण इत्यादि में प्रभावित जनता की समस्याओं तथा विचारों की सुनवाई की व्यवस्था की गई है।